क्रम-संख्या—62

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 मार्च, 2006
फाल्गुन 26, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1

संख्या 267/सात–वि–1–01(क)-7-2006
लखनऊ, 17 मार्च, 2006

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 14 मार्च, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में,–

(क) प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) में शब्द "पाँच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "आठ हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात :—

"परन्तु यह और कि किसी भूतपूर्व सदस्य को उपधारा (2) के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों में से किसी भी समय वायुयान द्वारा यात्रा करने के लिए उसके विकल्प पर समान मूल्य के कूपन दिये जायेंगे।"

धारा 18 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 18 में शब्द "टेलीफोन सम्बन्धी ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा जैसी विहित की जाय" के स्थान पर शब्द "टेलीफोन और मोबाइल फोन सम्बन्धी ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा जैसी विहित की जाय" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

दलीय नेताओं ने दिनांक 08 अगस्त, 2005 को आयोजित की गयी, अपनी बैठक में यह विनिश्चय किया कि सदस्यों को मिलने वाले रेल कूपनों में से उनके विकल्प पर निजी वाहन के लिए पेट्रोल एवं डीजल हेतु नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि की सीमा पाँच हजार से बढ़ाकर आठ हजार रुपये कर दी जाय और भूतपूर्व सदस्यों को रेल यात्रा हेतु दिये जाने वाले रेल कूपनों में से उन्हें हवाई जहाज की भी यात्रा करने के लिए कूपन प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाय। राज्य सरकार की राय है कि सदस्यों को प्रदान की गयी टेलीफोन सुविधा के अतिरिक्त मोबाइल फोन सुविधा, जैसा कि आधुनिक समाज में आवश्यक है, भी प्रदान की जाय। अतः यह विनिश्चय किया गया है कि दलीय नेताओं के विनिश्चय को कार्यान्वित करने और सदस्यों को मोबाइल फोन सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

राम हरि विजय त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

No. 267/VII-V-1-1(ka)-7-2006

Dated Lucknow, March 17, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon ki Uplabdhiyan aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 14, 2006.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2006

(U. P. Act no. 7 of 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and pension) Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2006.

2. In section 5 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 hereinafter referred to as the principal Act,— Amendment of section 5 of U.P. Act no. 23 of 1980

(a) in the first proviso, in clause *(b)* *for* the words "five thousand rupees" the words "eight thousand rupees" shall be *substituted.*

(b) *after* the second proviso the following proviso shall be *inserted*, namely:–

"Provided also that out of the railway coupons to be supplied unde: sub-section (2) to an ex-member, he shall at his option be supplied coupons of equal value for travel by air at any time."

3. In section 18 of the principal Act *for* the words "as may be prescribed" the words "and mobile phone as may be prescribed" shall be *substituted.* Amendment of section 18

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The leaders of the parties have in their meeting held on August 8, 2005 decided to increase the limit from five thousand rupees to eight thousand rupees of the amount which a member may on his option be paid in cash per month for petrol and diesel for his own vehicle out of the railway coupons supplied to him and to allow an *ex-member* to get coupons for travel by air out of the railway coupons supplied to him . The State Government is of the opinion that the members may be given mobile phone facility besides the telephone facility provided to them as it is essential in the modern society. It has, therefore, been decided to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 to implement the decision of the leaders of the Parties and to give mobile phone facility to the members.

The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,

RAM HARI VIJAY TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2296 राजपत्र(हि०)–(3396)–2006–597 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 175 सा० विधायी–(3397)–2006–850 (कम्प्यूटर/आफसेट)।